RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 677/2023

Maharaja Surajmal Agriculture College

----Petitioner

Versus

Dr. Prithviraj,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. B.S. Chhaba, AAG Mr. Avinash Choudhary, Adv. Mr. R.K. Paliwal, Adv. for Mr. R.A. Katta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

14/10/2025

विपक्षी क्रम–4 के विद्वान अधिवक्त का निवेदन है कि दिनांक 28.04.2023 के आदेश को खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दे रखी है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 06.11.2025 नियत है। उनका यह भी निवेदन है कि यदि कोई स्थगन आदेश पारित नहीं होता है तो युक्तियुक्त समय में आदेश की पालना कर दी जावेगी।

सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी तक यदि कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हो तो आवश्यक रूप से आदेश दिनांक 28.04.2023 की पालना की जावे, अन्यथा विपक्षी संख्या–4 को व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने पर विचार किया जायेगा।

विपक्षी संख्या–3 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. के. पालीवाल उपस्थित हैं।

इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. सिविल पिटीशन नंबर 461/2023 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम पवन कुमार गोयल व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः–

> ''We find that when the contempt petitions come up for hearing, the State counsel appear for State. At

> that stage, advance notice for contemnor cannot be taken by the State counsel. In case, the State counsel are instructed, after service of notice, to appear on behalf of contemnor, then alone the State counsel may appear."

विपक्षी संख्या–1 व 2 पर नोटिस सम्यक रूप से तामील होने तथा उनके हस्ताक्षरों से यदि कोई वकालतनामा प्रस्तुत हो रखा है तो उसके संबंध में खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कार्यालय स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि अग्रिम प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

प्रकरण दिनांक 19.11.2025 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /56